

officer prior to 01.01.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s), for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
---	--	--

[No. 46232/RR/CGO-II (Prod)/ISM/GS/MT-7/408/2015/D (Apptts)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2015

का.नि.आ. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, प्रशासनिक अधिकारी पद भर्ती नियम, 1999 को जहां तक उनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है और (ii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (प्रशासनिक तथा भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 को जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II से है, अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पदों (अनुसचिविय) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद (अनुसचिविय) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त किसी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 5400 रु	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन तथा स्थापन के क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, -अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. अपर महानिदेशक, -सदस्य वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन 3. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन -सदस्य विभाग से उप सचिव या इसके समतुल्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं,

या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु+ ग्रेड वेतन 4800/- रु या इसके समतुल्य में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की है;

या

(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु+ ग्रेड वेतन 4600/- रु या इसके समतुल्य में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की है

और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री

(ii) प्रशासन, स्थापन, बजट और लेखों के मामलों में तीन वर्ष का अनुभव पोषक

<p>प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) प्रशासनिक अधिकारी	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन बैंड 2, 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन तथा स्थापन के क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)</p> <p>1. अपर महानिदेशक, -अध्यक्ष वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन</p> <p>2. वैमानिक गुणवत्ता -सदस्य आश्वासन महानिदेशालय से निदेशक</p> <p>3. वैमानिक गुणवत्ता -सदस्य आश्वासन महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. 2523/आर.आर.(जीपी ए और वी)मिनिस्ट्रीयल/डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 1st December, 2015.

S.R.O. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, Administrative Officer Post Recruitment Rules, 1999 insofar as they relate to the post of Administrative Officer and (ii) the Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993 insofar as they relate to the post of Senior Administrative Officer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' & 'B' Gazetted posts (Ministerial) in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance in the Department of Defence Production under the Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'A' and 'B' Gazetted posts (Ministerial) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .—** The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other related matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1.) Senior Administrative Officer Grade-II	01*(2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service (Group 'A' Gazetted, Ministerial)	Pay band-3, Rs15600-39100 plus grade pay of Rs 5400	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or absorption or deputation to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for promotees	By promotion failing which by deputation including short-term contract	<p>Promotion:</p> <p>Administrative Officer in the pay band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs 4600/- with three years regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training in the field of Administration and Establishment.</p> <p>Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p>Deputation (ISTC)</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or public sector undertakings or semi-government or Statutory or autonomous organisations</p> <p>(A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department,</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/department,</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/department,</p> <p>and</p> <p>(B) Possessing the following educational qualification and experience .</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Three years experience in administrative, establishment, Budget and accounts matters.</p>

		<p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1. 2006 or the date from which the revised pay-structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion): 1. Chairman or Member, UPSC – Chairman 2. Additional Director General, Aeronautical Quality Assurance– Member 3. Deputy Secretary or equivalent from Ministry of Defence, Department of Defence Production– Member	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2.) Administrative Officer.	02*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B' Gazetted, Ministerial).	Pay Band- 2, Rs9300-34800 plus grade pay of Rs 4600.	Selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	<p>Promotion : Office Superintendent in the Pay Band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs 4200/- with five years regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training in the field of Administration and Establishment.</p> <p>Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p>
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion). 1. Additional Director General, Aeronautical Quality Assurance- Chairman 2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance- Member 3. Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance- Member		Consultation with UPSC not necessary.

[F. No. 2523/RRs (Gp 'A' & 'B') Ministerial/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, समूह 'ख' राजपत्रित तकनीकी/वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन, रक्षा उत्पादन विभाग में वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-